

कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्या.
जिला-नीमच (म.प्र.)

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो। आवेदक पाँचवी उत्तीर्ण होना अनिवार्य। उद्योग, सेवा, व्यवसाय आदि के लिये आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होना चाहिये।

परियोजना लागत रुपये 20,000/- हजार से 10 लाख तक है। मार्जिन मनी अनुदान 30 प्रतिशत एवं अधिकतम 200000/- लाख रुपये है।

संलग्न दस्तावेज :- पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य जाति प्रमाण-पत्र, स्थाई मूल निवासी प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड छाया प्रति, आधार कार्ड छाया प्रति, वोटर आई डी कार्ड छायाप्रति, दो फोटो।